

298  
23

2023/770

"न्याय आपके द्वार"  
राजस्व लोक अदालत  
2018

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौड़गढ़

विषय:-सम्मानजनक जाति/ नाम संशोधन के सम्बन्ध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनुवान श्री बाबूलाल पिता/पति मेरू मीणा

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जल्दी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनुवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी बाबूलाल  
पिता मेरू मीणा नि छापियारके का/के/हूँ/है।

मेरे/हमारे प.ह. सोनगर के राजस्व ग्राम छापियारके में खाता संख्या  
56 किता 17 रकबा 5.92 है। भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसमें  
मेरी/हमारी जाति/नाम बाबूलाल दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप  
में बाबूलाल उर्फ बाबूलाल दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम बाबूलाल के बजाय बाबूलाल उर्फ  
करवाने की कृपा करावे।

दिनांक.....

बाबूलाल  
हस्ताक्षर  
प्रार्थी/व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का सोनगर

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री बाबूलाल पिता मेरू मीणा  
नि छापियारके राजस्व ग्राम छापियारके प.ह. सोनगर की जमाबन्दी  
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में बाबूलाल उर्फ दर्ज करवाना  
चाहता है/चाहते हैं। दोनो जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के  
है। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना  
उचित है।

2/11

24-04-23